RANCHI UNIVERSITY, RANCHI

अधिसूचना

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पत्रांक 2388 दिनांक 06.10.2017 के द्वारा संत जेवियर्स कॉलेज, सिमडेगा को स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में बिना किसी वित्तीय भार के एवं इण्टर रहित अस्थायी नवसंबंधन के प्रस्ताव में निम्न शर्त्तों के साथ झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा–04 (19) के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित विवरणी के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र.	संकाय एवं स्तर	विषय	सत्र	अभ्युक्ति
1.	B.A. (General & Hons.)	Hindi, English, Political Science, History, Economics & Geography, (कुल 06 विषय)	2016–19 के लिए	अस्थायी नवसंबंधन
2	B.Com (General & Hons.)	All Groups	2016–19 के लिए	अस्थायी नवसंबंधन

शर्त्तें:–

i) यह महाविद्यालय स्थायी संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु पत्रांक BSU-16/86-1096 (जी0एस01) दिनांक 19.04.86 द्वारा निर्धारित शर्त्तों एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शर्त्तों को सदैव पूरा करेगा।

ii) महाविद्यालय भूमि संबंधी अहर्त्ता (ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10 एकड़ एवं शहरी क्षेत्र के लिए 05 एकड़) पूर्ण करेगा तथा भूमि को तीन माह के अन्दर महाविद्यालय/राज्यपाल के नाम से निबंधित कराना अनिवार्य होगा ।

iii) भूमि संबंधी अद्यतन रसीद प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

iv) पुस्तकालय सुरक्षा कोष, विज्ञान सुरक्षा कोष में जमा करने हेतु प्रावधानित राशि एक माह के अन्दर सावधि जमा खाता में हस्तांतरित कर लिया जाना अनिवार्य होगा ।

v) महाविद्यालय के पास अपना छात्रावास भवन नहीं होने की स्थिति में छात्रावास सुरक्षा में जमा होने वाली राशि का निर्धारण विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा यथाशीघ्र किया जाना अनिवार्य होगा।

vi) पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि का सुदृढ़ीकरण तीन माह के अन्दर करना आवश्यक होगा।

vii) विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति एवं अन्य अधिरोपित शर्तो का अनुपालन तीन माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा ।

viii) महाविद्यालय को यू0जी0सी0 अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा–5 के तहत् NAAC Accrediation कराना आवश्यक होगा।

ix) आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

x) यदि विश्वविद्यालय के निरीक्षण टिप्पणी में उठाये गये बिन्दुओं/कमियों का समय–सीमा के अन्तर्गत अनुपालन नहीं कराया जाता है तो महाविद्यालय अगले सत्र लिए नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु अहर्त्ता नहीं रखेंगें।

कुलपति के आदेशानुसार
ह0/–
कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय, राँची

पत्रांक GE-4099-4103
दिनांक 5/12/17

प्रतिलिपि–

1. प्राचार्य, संत जेवियर्स कॉलेज, सिमडेगा ।
2. परीक्षा नियंत्रक, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
3. प्रभारी, टेबुलेशन सेन्टर, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
4. सहायक कुलसचिव–III, पंजीयन शाखा, राँची विश्वविद्यालय, राँची।

कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय, राँची

पत्रांक : 4/स.1-129/2016 ..../

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

अबु इमरान,(भा0प्र0से0)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची।

राँची, दिनांक :...................................../

विषयः- **संत जेवियर्स कॉलेज, सिमडेगा में सत्र 2016-2019 के लिए बी0ए0 एवं बी0कॉम (सामान्य एवं प्रतिष्ठा) के विषयों में अस्थायी नवसंबंधन के संबंध में।**

प्रसंगः- **आपका पत्रांक-GE/-3068 दिनांक-30.08.2016**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने संत जेवियर्स कॉलेज, सिमडेगा को विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आलोक में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में बिना किसी वित्तीय भार के एवं इण्टर रहित अस्थायी नवसंबंधन के प्रस्ताव में झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-04(19) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित विवरणी के अनुसार कंडिका-2 में अंकित शर्त्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की है:-

क्र0	संकाय एवं स्तर	विषय	सत्र	अभ्युक्ति
1.	B.A. (General & Hons.)	Hindi, English, Political Science, History, Economics & Geography (कुल 06 विषय)	2016-19 के लिए	अस्थायी नवसंबंधन
2.	B.Com (General & Hons.)	All Groups	2016-19 के लिए	अस्थायी नवसंबंधन

2. शर्त्तें:-

i) यह महाविद्यालय स्थायी संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु पत्रांक-BSU-16/86-1096 (जी0एस01) दिनांक-19.04.86 द्वारा निर्धारित शर्त्तों एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शर्त्तों को सदैव पूरा करेगा।

ii) महाविद्यालय भूमि संबंधी अहर्त्ता (ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10 एकड़ एवं शहरी क्षेत्र के लिए 05 एकड़) पूर्ण करेगा तथा भूमि को तीन माह के अन्दर महाविद्यालय/राज्यपाल के नाम से निबंधित कराना अनिवार्य होगा।

iii) भूमि संबंधी अद्यतन रसीद प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

iv) पुस्तकालय सुरक्षा कोष, विज्ञान सुरक्षा कोष में जमा करने हेतु प्रावधानित राशि एक माह के अन्दर सावधि जमा खाता में हस्तांतरित कर लिया जाना अनिवार्य होगा।

v) महाविद्यालय के पास अपना छात्रावास भवन नहीं होने की स्थिति में छात्रावास सुरक्षा कोष में जमा होने वाली राशि का निर्धारण विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा यथाशीघ्र किया जाना अनिवार्य होगा।

vi) पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि का सुदृढ़ीकरण तीन माह के अन्दर करना आवश्यक होगा।

vii) विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं अन्य अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन तीन माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

viii) महाविद्यालय को यू0जी0सी0 अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा–5 के तहत् NAAC Accrediation कराना आवश्यक होगा।

ix) आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

x) यदि विश्वविद्यालय के निरीक्षण टिप्पणी में उठाये गये विन्दुओं/कमियों का समय–सीमा के अन्तर्गत अनुपालन नहीं कराया जाता है तो महाविद्यालय अगले सत्र के लिए नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु अहर्त्ता नहीं रखेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(अबु इमरान)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक : 4/स.1–129/2016 2388/ राँची, दिनांक : 06/10/17
प्रतिलिपिः– प्राचार्य, संत जेवियर्स कॉलेज, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/10/17

(अबु इमरान)
निदेशक, उच्च शिक्षा।